हरजिन्द्र सिंह **बनाम** उषा आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 42 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/131

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि राजस्व ग्राम 5 यू की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 59/59 के मुरब्बा नम्बर 9 की कुल 2.454 हैक्टेयर भूमि की मूलवाद के निर्णय तक मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किए जाने हेतु अर्ज किया। लिहाजा वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 वादगत भूमि के अभिलिखित खातेदार है। यदि अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते